कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । १५०० २२ /१।।।

आज दिनांक 16.06.2011 को दोपहर 3.00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

गत बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या (1) विकास कार्यों के संबंध मे -

1. शेड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन बाबत :-

वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया है, जैसे 4 लेन सडक निर्माण, आर.ओ.बी. इत्यादि। इन कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शेड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन की आवश्यकता सभी स्तर पर महसूस की जा रही है। शेड्यूल ऑफ पॉवर 16.06.2011 के सभी बिन्दुओं पर विचार—विमर्श अनुमोदन करने के निर्णय लिया गया एवं निर्देश भी जारी किये गये कि भविष्य में अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाने से पूर्व समक्ष प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमोदित प्राप्त कर कार्य को सम्पादित किया जाये।

2. विमिन्न उद्यानों मे विकास कार्य :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर के मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, अशोक उद्यान व कायलाना झील मे विकास कार्य एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभागों से हस्तानान्तरण करने के संदर्भ मे बाद विचार-विमर्श सम्बन्धित विभागों से विकास कार्य एवं रख-रखाव हेतु लेने का निर्णय लिया गया।

3. नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति का अनुमोदन -

कार्यकारी सिमिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी करने के लिये रखे गये।

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	यू आई.डी एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत पाल जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सडक निर्माण कार्य।	355.59	
2	यू आई.डी एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत झालामण्ड जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सडक निर्माण कार्य।	492.02	
3	विवेक विहार योजना के विभिन्न सेक्टरों में प्लॉटो एवं सड़को पर मैसोनरी के मुटाम लगाने का कार्य	150.00	
4	पाबृपुरा क्षेत्र में सीवर लाईन (ई 3 जोन) एवं 5 एमएलडी एस.टी.पी. का कार्य।	2300.00	
5	रातानाडा से बीआरओ बाईपास तक 4 लेन सडक निर्माण कार्य।	4200.00	
6	के.के कोलोनी बासनी में नाले की दीवार उंची करने का	17.72	

7	बोरानाडा से सागरिया होते हुए पाली रोड तक सडक	1200,00	
8	जयपुर रोड से बनाड तक पोल लेस करने का कार्य।	1400.00	
9	बासनी से न्यू पावर हाऊस, आईटीआई होते हुए पाल रोड	900.00	

उक्त कार्यों की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्त प्रकरण संख्या 6 के सन्दर्भ में रिकों से कोस्ट भोयरिंग हेतु प्रकरण रिकों को प्रेषित करने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये गये।

4. अतिरिक्त व अधिक कार्यों की पुष्टि :--

निम्नलिखित विकास कार्यों में शेंड्यूल ऑफ पॉवर (Schedule of Power) के अनुसार अतिरिक्त व अधिक कार्यों की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी समक्ष स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :--

4.(1) पाबुपुरा खेल मैदान व स्कूल की चार दिवारी का कार्य :-

पाबुपुरा खेल मैदान व स्कूल चार दिवारी का कार्य की वित्तिय एंव प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 5.80 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (5.80+2.43) = 8.23 लाख रूपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर चार दीवारी की लम्बाई निर्देशानुसार बढाने के कारण अतिरिक्त रूपये 36,233/- तथा अधिक रूपये 3,02.448/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त पूर्व कार्य का निरीक्षण कर आयुक्त महोदय को पत्रावली प्रस्तुत करेगें।

4.(2) नई सडक चौराहे पर डिवाईडर का कार्य :--

नई सडक चौराहे पर डिवाईडर का कार्य की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 2.50 लाख तथा संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (2.50 + 1.50) = 4.00 लाख रूपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर रेलिंग का कार्य निर्देशानुसार बढांने के कारण अतिरिक्त रूपये 36,302/- तथा अधिक रूपये 80,960/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(3) गौशाला मैदान में दो सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य :-

गौशाला मैदान में दो सिन्धेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य वित्तिय एंव प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 25.70 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (25.70 + 2.30) = 28.00 लाख रूपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर दो सिन्धेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण दो अलग अलग स्थानो गौशाला मैदान एवं पुलिस लाईन में निर्देशानुसार कराने के कारण अतिरिक्त रूपये 4,10,247/—तथा अधिक रूपये 2,75,092/— का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण के बाद विचार—विमर्श निदेशक अभियांत्रिकी के द्वारा इस कार्य का निरीक्षण कर प्रस्तुत अतिरिक्त /अधिक कार्य को अनुमोदन करने के लिये अधिकृत किया गया।

4.(4) नवदुर्गा नगर झालामण्ड में कब्रिस्तान मार्ग पर सडक निर्माण कार्य :--

नवदुर्गा नगर झालामण्ड में कब्रिस्तान मार्ग पर सडक निर्माण कार्य वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 11.30 लाख तथा संशोधित बितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (11.30+3.70) = 15.00 लाख रूपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर झालामण्ड खसरा नम्बर 413 की भूमि निलामी हेतु एपोच सडक से अतिक्रमण हटाकर शीध एप्रोच सडक निर्माण करने के निर्देशानुसार के कारण कार्य में अतिरिक्त रूपये 2,36,956 / – तथा अधिक रूपये 3,42,736 / – का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देश जारी किये गये कि वे इस कार्य का निरीक्षण कर पत्रावली आयुक्त महोदय प्रस्तुत करेगें।

of E

4.(5) जोन पूर्व में वेल्डमैस लोहे की जाली मरम्मत का कार्य(वार्षिक अनुबन्ध) :--

जोन पूर्व में वेल्डमेस लोहे की जाली मरम्मत का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध) वित्तिय एव प्रशासनिक स्वीकृति 5.00 लाख रूपये है। मौके की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार सर्किट हाउस से एरोड्रम तक सडक के मध्य डिवाईडर पर लगी लोहे की जाली का एक रूप रंगरोगन करवाने के कारण अधिक रूपये 92,473 / – का करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यादेश राशि 3,81,732 / – तथा प्रथम रिनंग बिल रूपये 1,62,774/- का है। प्रस्तुत प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये।

4.(6) हुडकों कॉलोनी से विक्रमाद्वित्य नगर गौरव पथ रोड तक सीवरेज लाईन का निर्माण कार्य :-

हुडकों कॉलोनी से विक्रमाद्वित्य नगर गौरव पथ रोड तक सीवरेज लाईन का निर्माण कार्य की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 70.00 लाख की थी। प्राप्त निविदा दरों की स्वीकृति के कारण कार्यादेश राशि रू. 73.85 लाख की है। अतः संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य पूर्व स्वीकृत कार्यादेश के अन्तर्गत ही है। मूल तकमीने में घरों के कनेवशन एवम् चेम्बर का प्रावधान नहीं था। राजकीय आवास होने के कारण यह कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया गया । इसके अतिरिक्त सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त फर्श को भी पुनः ठीक करवाया गया। इस कारण अतिरिक्त रूपये 8.41 लाख तथा अधिकरूपये 11.93 लाख का कार्य हुआ। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4.(7) एम.एन. अरोडा सर्किल के समीप विमिन्न Ornamental work :-

एम.एन. अरोडा सर्किल के समीप विभिन्न Ornamental work की वित्तिय एंव प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 7.80 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रूपये (7.80+21.20+2.62) = 31.62 लाख अपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर कार्य करवाने के कारण कार्य में अतिरिक्त रूपये 6,38,087 / — तथा अधिक रूपये 18,18,555 / — का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी यैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये ।

4.(8) सूचना केन्द्र भवन व मिनी आडिटोरियम के रिपेयरिंग व पुनरोद्वार का कार्य :--

सूचना केन्द्र भवन व मिनी आडिटोरियम के रिपेयरिंग व पुनरोद्वार का कार्य की वितिय एव प्रशासनिक स्वीकृति 20.24 लाख रूपये है। मीके की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार वर्तमान पीआरओ द्वारा कुछ कार्य जैसे टिन शैड का निर्माण, लाईब्रेरी में एल्यूमिनियम पार्टीशन, ओडिटोरियम में मकराने के पत्थर तथा लकड़ी का फर्श व अन्य कार्य श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा पेरा नम्बर 40 पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः निर्देशानुसार कार्य करवाने के कारण अतिरिक्त रूपये 51,368 / — का करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार—विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(9) मेडिकल कॉलेज दल्ले खॉ की चक्की तक डिवाईडर व पार्किंग क्षेत्र में लोहे की ग्रील लगाने का कार्य :-

डॉ भीमराव अम्बेडकर सर्किल नागौरी गेट चौराहे पर डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा किये जाने हेतु। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमन्त्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे के चारो और लोहे की रेलिंग लगायी गयी। जिसमे अतिरिक्त कार्य रूपये 35,444/- व अधिक कार्य रूपये 5,96,345/- रूपये का सम्पादित हुआ। उपरोक्त कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एव वित्तिय स्वीकृति राशि 63.50 लाख की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2011 द्वारा प्राप्त है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(10) विमिन्न स्थानो पर पेच रिपेयर का कार्य :-

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2011 के बिन्दु संख्या 2.7/2 में इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति रूपये 34.68 लाख की प्रदान की जा चुकी है संशोधित स्वीकृति के कारण कार्य अधिक रूपये 12.10 लाख का अधिक व रूपये 2.52 लाख का अतिरिक्त कार्य करवाया गया है । प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4.(11) विभिन्न स्थानों पर तारबन्दी का कार्य :--

राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी खसरा सं. 269 मुख्य पाली रोड़ में तारबन्दी कार्य करवाये जाने के लिए सचिव/उपायुक्त दक्षिण के निर्देशों की पालना में कार्य प्रारम्भ करवाया गया। कार्य में अतिरिक्त कार्य 68,880/- व अधिक कार्य 2,41,536/- की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

4.(12) बासनी कृषि मण्डी के पास पुलिया चौड़ा करने का कार्य :-

पुलिया को अधिक चौड़ा करने की अनुमानित सीमा से अधिक चौड़ा करने व बड़ा करने हेतु अधिक कार्य 2.09,000/— करवाया गया, ताकि आगे रोड़ की चौड़ाई के समान हो जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अधिक कार्य के बारे में विस्तृत कारण अकिंत नहीं होने से बाद विचार—विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

4.(13) विमिन्न स्थानो पर सिविल रिपेयर का कार्य :--

आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एवं विधायक महोदय की मांग के अनुसार रेलिंग लगाने का कार्य करवाये जाने के कारण अतिरिक्त कार्य 3,49,990/- व अधिक कार्य 10,28,514/- रूपये हुआ है। उपरोक्तनुसार अधिक व अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विवार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

4.(14) रूप नगर रूपाबाई का जाव में सामुदायिक भवन (वाचनालय) का निर्माण कार्य :

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 12.00 लाख है। कार्यादेश राशि 10.09 लाख रूपये है। पूर्व पार्षद वार्ड नं 53 की अनुशन्सा एवं मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र की अनुपालना में आयुक्त महोदय द्वारा 23.00 कुल तथा 13.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई थी तदनुसार अतिरिक्त आईटम रूपये 8,48,346/— एवं अधिक आईटम 707719/— सम्पादित करवाये गये थे। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार—विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

4.(15) नागौरी बेरा क्षेत्र में जिम रूम का निर्माण कार्य :--

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 04.00 लाख है। कार्यादेश राशि 03.42 लाख रूपये है। हॉल निर्माण कार्य के साथ सीढीयों का निर्माण अतिरिक्त करवाने की कारण अधिक कार्य हुआ है। अतिरिक्त कार्य रूपये 74.279 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य की कुल लागत प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के अन्तर्गत ही होगी। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार—विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(16) पावटा सी रोड़ अण्डर ब्रिज से पावआ बी रोड़ तक मानजी के हत्थे में से होते हुए मुख्य सड़क का डामरीकरण का कार्य :--

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 40.32 लाख है। संशोधित प्रशासनिक वितीय स्वीकृति रूपये 56.12 लाख है। कार्यादेश राशि 31.71 लाख रूपये हैं मौके पर मान जी के हत्था कॉलोनी विकास समिति के पत्र पर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशनुसार फुटपाथ एवं सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाने के कारण अधिक आईटम/अतिरिक्त आईटम सम्पादित किये गये थें अधिक आईटम 615032/— व अतिरिक्त आईटम 997533/— स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार—विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(17) लाल सागर अण्डर ब्रिज में गोकुल जी. की प्याऊ तक बन रही सड़क पर डिवाईडर का कार्य :-

लाल सागर ब्रिज से गोकुल जी की प्याऊ तक सड़क निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति 119.70 लाख रूपये है। जिसमें से रूपये 9010750/- का कार्य आदेश सड़क निर्माण कार्य तथा रूपये 963623/- का कार्य आदेश डिवाईडर निर्माण हेतु दिया गया है। इस प्रकार कुल रूपये 9974373/- का कार्यादेश उपरोक्त स्वीकृति के अन्तर्गत दिया गया है। डिवाईडर की लम्बाई 900 मीटर बढ़ने के कारण द्वितीय कार्यादेश में अधिक कार्य की स्वीकृति 1316486/- प्रदान करने हेतु आयुक्त महोदय ने सहमति प्रदान की है। उपरोक्त अधिक कार्य करवाये जाने पर उपरोक्त कार्य पर रूपये

11290859 /- का व्यय होगा जो स्वीकृत, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्दर ही होगा। स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गयें।

4.(18) बंजारा कॉलोनी खरिया कॉलोनी रोड़ बेज वर्कशांप के पास नाला रिपेयरिंग व कदरिंग का कार्य :--

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 9.00 लाख है। कार्यादेश राशि 07.31 लाख रूपये है। नाला पुरा कचरे से भरा हुआ होने के कारण अधिक कार्य रूपये 92502 पर सम्पादित हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4.(19) जोघपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन के निकट शेल्टर दू सफरिग्स केन्ट में विकास कार्य :—
कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 6.80 लाख है। कार्यादेश राशि 588353 रूपये हैं। मौकें
पर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना अतिरिक्त क्षेत्रफल में शैल्टर निर्माण कार्य करने के
कारण रूपये 208741/— का अधिक कार्य सम्पादित हुआ है। अतः अधिक कार्य रूपये 208741/—
स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार—विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में
पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

4.(20) रामेश्वर महादेव मंदिर से राम बाग पुलिया तक नाला निर्माण कार्य:-

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 57.36 लाख है। कार्यादेश राशि 44.99 रूपये है। मौके पर स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग अतिरिक्त कनेक्शन (पी.वी.सी. पाईप) द्वारा मैंन हॉल निर्माण व कवर करने के कारण अधिक व्यय अतिरिक्त कार्य करवाया गया तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के भीत्तर ही सम्पादित होगा अधिक कार्य रूपये 497152/— तथा अतिरिक्त कार्य रूपये 595667/— स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार—विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4.(21) गुलजार पुरा क्षेत्र में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य :-

कार्य की प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति रूपये 20.00 लाख है। कार्यादेश राशि 18.08 लाख रूपये है। मौके पर स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग अनुसार इसी क्षेत्र में कुछ गलियों में कार्य करवाया जाना है। कार्य प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के भीत्तर ही सम्पादित होगा अधिक कार्य रूपये 664500/— तथा अतिरिक्त कार्य रूपये 139880/— सम्पादित करवाने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार—विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

4.(22) राजकीय महाविद्यालय परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य :--

कार्य की प्रशासनिक वितिय स्वीकृति रूपये 8.00 लाख है। कार्यादेश राशि 6.16 लाख रूपये है। मौके पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस महाविद्यालय के पास खेल गाँव विकसित करने के निर्देश प्रदान किये गये इसी क्रम में महाविद्यालय में आवश्यक कार्य करवाये गये है। इस कारण इस कार्य पर 0.39 लाख की अतिरिक्त एवं प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति तथा अधिक कार्य रूपये 273048/— तथा अतिरिक्त कार्य रूपये 157073/— स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार—विमर्श समिति ने

यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये ।

5. संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि :--

समिति के समक्ष संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय प्रस्तुत किये गये में बाद विचार-विमर्श समिति ने नसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया :-

निम्नानुसार सर्व	कृति जारा व		व ।लवा :-	
कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	विशेष विवरण /विमाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर जोन पूर्व में सड़क मरम्मत का कार्य	10,00	1.05	11.05	निविदा संख्या 58/10-11 दिनांक 25.03.11 को जारी की गई थी प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की प्राप्ति तथा नेगोशियसन की प्रक्रिया आदि में देरी के कारण कार्यादेश दिनांक 15.06.11 को दिया गया, कार्यादेश देरी से दिये जाने के कारण एवं कार्य की पूर्व में स्वीकृति 10.00 लाख रूपये थी, निविदत राशि 15.51 प्रतिशत अधिक होने के कारण संशोधित स्वीकृति 11,04,708/- रूपये हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर जोन दक्षिण में सड़क मरम्मत का कार्य	10.00	1.00	11.00	निविदा संख्या 58/10—11 दिनांक 25.03.11 को जारी की गई थी प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की प्राप्ति तथा नेगोशियसन की प्रक्रिया आदि में देरी के कारण कार्यादेश दिनांक 7.6.11 को दिया गया, कार्यादेश देरी से दिये जाने के कारण एवं कार्य की पूर्व में स्वीकृति 10.00 लाख रूपये थी, संशोधित स्वीकृति 10,99,736/— रूपये हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में स्थित जेडीए हाऊस में पानी की टंकी बनाने का कार्य।	0.75	1.79	2.54	प्राधिकरण कार्यालय में पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यालय में पानी की आपूर्ति बन्द हो जाने से एक नयी टंकी का निर्माण करवाया जाना अतिआवश्यक हो गया है। अतः इस कार्य के साथ कार्य करवाये जाने पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति 2.54 लाख तथा कार्य में अधिक आईटम राशि रूपये 96460/— एवं अतिरिक्त आईटम राशि रूपये 79180/— की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
रोटरी चौराया से न्यू पॉवर हाउस तक सडक के मध्य आ रही 33 केवी लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	49.85	49.32	99.17	जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा न्यू पॉवर हाउस से रोटरी चौराहा तक 33 केवी लाईन को भूमिगत करने बाबत् 99.17 लाख का तकमीना प्राप्त हुआ है। पूर्व में इस तकमीने में 49.85 लाख रूपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि 49.32 लाख रूपये जेविविनिलि को और हस्तान्तरित करने है। उक्त कार्य की संशोधित राशि रूपये 99.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बासनी ओवरब्रिज से शास्त्रीनगर धाना तक वाया न्यू पाँवर हाउस तक राड़ के मध्य आने वाली 11 केवीए एवं 33 केवीए लाईनों को हटाने का कार्य।	935.00	935.00	इस रोड को बासनी ओवरब्रिज से शास्त्रीनगर धाना तक वाया न्यू पॉवर हाउस तक पाल लैस करने बाबल् वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।
पावटा चौराहे से बनाड़ रोड़ चौराहे तक रोड़ के मध्य आने वाली 11 केवीए एवं 33 केवीए लाईनों को हटाने का कार्य।	1700.00	1700.00	इस रोड को पावटा चौराहे से बनाड़ रोड चौराहे तक पोल लैस करने बाबत् वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

6. भू उपयोग परिवर्तन :-

ग्राम काकाणी के खसरा नम्बर 825,826 रकबा 92 बीधा एवं ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 का संस्थागत/बहुउदेशीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

- उद्यानों का हस्तान्तरण : प्रस्ताव संख्या 2 में इस प्रस्ताव का समावेश होने से अनुमोदित किया गया।
- श. रामतलाई नाडी : प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।
- 9. आवाप्ति :-प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।
- 10. IRCON MOU:-

समिति ने बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित एमओयू प्रारूप प्राप्त कर ईरकॉन से एमओयू किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

11. मूखण्ड संख्या 175 साईज 30 x 60 विजयराजे नगर श्री मनोज कुमार :-

प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

12. श्री दिनेश कुमार राकावत पुत्र श्री बंसतदास राकावत वाम्बे योजना आवास गृह संख्या बी

- 185

समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

- श्री घेवरबन्द गोरवामी पुत्र री किसन पुरी सजीव गांगी नगर आवासीय योजना भूरवण्ड सरया 13. आई - 761 साईज 6 × 15 वर्गमीटन :-समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचर-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।
- अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-14.
- 14.(1) निदेशक वित्त के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण के सामान्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन को स्चारू एवं कियान्वयन करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिये प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद विचार-विमर्श अनुमोदन किया गया । (परिशिष्ठ व")
- 14.(2) निदेशक वित्त हारा प्रस्तुत प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले चेक पर हस्ताक्षर करने के प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार प्रस्तुत किये गये । इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	चेक की राशि का विवरण	हस्ताक्षर के प्राधिकृत अधिकारी
1.	3.00 लाख तक	वरिष्ठ लेखाधिकारी
2.	3.00 लाख से अधिक एवं 15.00 लाख तक	सहायक लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी
3.	15.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक	संबंधित उपायुक्त एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी
4.	50.00 लाख से अधिक	निदेशक वित्त एवं सचिव

उपरोक्त अधिकारियों में से कोई एक अधिकारी के कार्यालय से बाहर होने से चेक पर वरिष्ठ लेखाधिकारी, सिवव एवं निदेशक वित्त में से कोई दो अधिकारी सामृहिक रूप से हस्ताक्षर कर चेक जारी वैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

> सविव जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक - बैठक / 2011 / जेडीए / जेयू / 1802-11 / DCE / 1380 - 41) प्रतिलिपे :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-दिनाक -...

प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

जिला कलेक्टर, जोधपुर । 2.

निजी सचिव अध्यक्ष / आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।

जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ।

मुख्य जी मकारी, अधिकारी नगर निगम, जोधपुर ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर । €. 7.

मुख्य महाप्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर ।

प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर । निदेशक अभियांत्रिकी / वित्त / विधि / आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । 9.

अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । 10.

उपयुक्त पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । 11.

वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । 12. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । 13.

> सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

-9-

दिनांक 18 जून, 2011 को दोवहर 3.00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन जिला कलक्टर एवं आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी समिति, जीधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपरिधत अधिकारियों का चिवरण।

1.	श्री जीवन खान, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) पश्चिम, जोधपुर श्री वासुदेव गालावत, उपायुक्त -दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री के सी. गोदानी, जोनल चीफ इजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगर
	िक्तिकेच व्योधारण
4.	श्री एम्एम् फुलवारिया, अति मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
	रगेशावर
5.	श्री की के बाफना निदेशक-अभियाचिक, जोधपुर विकास प्रीधिकरण, जोधपुर
6.	शीमती अजरा उपायक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्रविधकरण, जोधपुर
7.	श्री एनके. वसल, उपायुक्त उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोबपुर
	श्री अमिलाम योगानन्दी, निदेशक-दित्त, जोधपुर विकास प्रीधकरण, जोधपुर
8.	श्री ओ.पी बेरवा, प्रबन्धक, आर एस आर टी.सी. जोधपुर
9.	आ आ वा बरवा अवस्थल, जार र्राजार करना जान है।
10.	श्री वी के जैन, रीजन मैनेजर, रीको जोधपुर
11.	श्री विशाल दवे, आयुवल, नगर नियम, जोधपुर
12.	श्री पी.सी. गौड, पर्यटन अधिकारी, जोधपुर
14.	क कार्य मार विकास कार्या केलाव विकास विकास माध्या मीध्या

					9						
	5	5)			***		7		-	S.No.
				supply of material for these works.	To accept/reject tenders for the execution of sanctioned work or part of sanctioned work and for rate contracts (area wise for repairs, maintenance and petty work, including	To issue notice for inviting tenders and advertise through PRO cell.		RSEB, Municipalities or any other Deptts / Board subject to administrative, financial approval of project being available.		2	Nature
		BE	¥.	DE	JDC	DE Ex. En.	Ex. En,	Director (Engineering)	Bx, En.	3	To whom delegated
(1) The amount shown above is tendered amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned. (2) These powers shall be exercised only if tender is sanctioned the authorities within original validity period as prescribed NIT. In case it is not sanctioned in period allowed to authority sanction of tender, next higher authority shall be competent sanction within time prescribed for him. (3) These powers are subject to the condition that the contracto tendered amount do not exceed the amount of Schedule 'G' per sanctioned estimates amount by more than 20% and also the overall monetary limits of financial powers mentioned about against each authority are not exceeded. (4) Thus, both the conditions should be satisfied (i) that contracte tender amount must be within limits prescribed above and (ii) tender premium/percentage of contracte tendered amount over sanctioned estimated amount of Schedule 'G' is within 20%. In case there is any condition having financial implication, then tendered amount will be calculated including financial implication of the condition.	Note: The above powers are subject to the condition that	Rs. 50.00 Lacs	Up to Rs. 150.00 lacs	Up to Rs.500.00 lacs	Full Power	Full Power Full power if no splitting is involved Note: (1) Short term NIT approved/ permitted by the SE (2) Corrigendum should be issued after approval of SE	Rs. 10.00 Lacs Full Power with consent of Dir. Fin.	Rs. 20.00 Lacs Full Power with consent of Dir. Fin.	Up to Rs. 1.00 Lacs		Power
The amount shown above is tendered amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned. These powers shall be exercised only if tender is sanctioned by the authorities within original validity period as prescribed in NIT. In case it is not sanctioned in period allowed to authority for sanction of tender, next higher authority shall be competent to sanction within time prescribed for him. These powers are subject to the condition that the contractor's tendered amount do not exceed the amount of Schedule 'G' as per sanctioned estimates amount by more than 20% and also that the overall monetary limits of financial powers mentioned above against each authority are not exceeded. Thus, both the conditions should be satisfied (i) that contractor's tendered amount must be within limits prescribed above and (ii) tender premium/percentage of contractor's tendered amount over sanctioned estimated amount of Schedule 'G' is within 20%. In case there is any condition having financial implication of the condition	the condition that	On recommendation of committee comprising of	On recommendation of committee comprising of SE, Sr. A.O. & XEn	On recommendation of committee comprising of DE, DF & SE.	On recommendation of committee comprising of JDC, DE, DF & Secretary					5	Remark

		1011101	S.No.
	1	Control of the Contro	Nature of Power
	The state of the s	3	To whom delegated
(12) (12) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	(6) If the tendered amount of the		Power
amount of the work by more than 20% the powers will be exercised by the next higher authority. Where Schedule 'G' is based on a previous years BSR and tenders received when evaluated to the current BSR applicable on the date of opening of tender do not show any increase over the such evaluated estimated amount and tendered amount is within financial limits to sanction tender as indicated against each, the tenders need not be referred to the next ligher authority provided the revised estimates has been prepared and submitted to competent authority to sanction and copy of the revised estimate has been enclosed with the tender. Mere revision of BSR does not qualify to use this provision. In case the lowest tenderer withdraws his offer after opening of the financial bids, negotiations will be conducted by competent authority with all the qualified tenderers to get the work done on lowest renderer as per rules. In case nobody is ready, then procedure under note 7 and 8 may be adopted. In case lowest tenderer fails to start the work awarded to him or leaves the work incomplete, the competent authority who originally sanctioned the tender may negotiate with other qualified tenderers to get the work done on originally sanctioned at the tender may negotiate with other qualified tenderers is ready to execute the work on sanctioned rates after negotiations as above, the competent authority may award the work on same sanctioned rate to any eligible and experienced registered non-tenderer contractor after recording reasons. In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is In case of tender other than of the lowest sanctioning authority will be competent to sanction. The sanctioning authority will t	If the tendered generated of the contractor exceeds the estimated	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Remark

Delegation of Powers to the Officers of Jodhpur Development Authority, Jodhpur.

Note:

- Estimates should be framed at prevailing BSR.
- Cases requiring sanction/approval of the JDC/E.C. shall be routed by the Director (Engineering) through Director (Finance) & secretary
- Rate analysis of works shall be prepared by concerned Ex En and counter signed by Director Eng. Before opening of prince bed of the tender
- All powers, which are not specified in the schedule below, involving financial implication up to Rs. 100.00 Lacs, shall yest with IDC.
- approved by JDC For delegation of powers which are not covered in this schedule of power shall be as per PWF & AR with suitable corrections if any required to be
- 70 Tender amount means the amount offered by the tenderer/contractor intended to be sanctioned
- Estimated amount means sanctioned estimated amount of items of G schedule of work concerned
- Tender premium means percentage rate above/below quoted by the tenderer over G Schedule amount.
- have been completed before sanction. Approved drawing & designs etc have been ready before NIT and land has been acquired before sanction of tenders. Other actions required at JDA level
- Power to sanction of extra/excess, time extension & rescinding contract will also be applicable on the work orders issued after 06.11.09(i.e. date when First S.O.P of JDA was issued.)

-		-				-	-				-							-		000							To Carl		
	6				Vi	C. EXI			4	B. TEC		The state of the s	The second second										3	2			A. AD	-	S.No.
without deposit earnest money.	To accept at his discretion tenders for materials collection				To sanction execution of work departmentally.	C. EXECUTION OF WORKS	already available.	supplementary estimates based on Adm. & Fin. Sanction	To accord technical sanction to detailed revised or	B. TECHNICAL SANCTIONS					一般の はんから はんない ないない はんない はんない はんない はんない はんない はんない						accept contribution deposit in respect of them	Constitution of the second sec	To permit undertaking contribution/ deposit works and to	Splitting of A & F Sanctions.	Scheme in whole or part,	Administrative & Financial approval to execute a Project/	A. ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS	2	Nature of Power
SE SE	Director (Rng.)	Ex. En.	SE	Director (Eng.)	Dar		Ex En.	SE	Dir, Eng.														Joc	DE	JDC	E.C.		3	To whom delegated
Up to Rs. 2.00 Lacs	Up to Rs. 5.00 Lacs	Up to Rs. 5.00 Lacs	Up to Rs. 20.00 Lacs	Up to Rs. 50.00 Lacs	Full Power		Up to Rs.50.00 Lacs	Up to Rs 150,00 Lacs	Full Power		amount.	The same of the sa	will be carried out after deposit of	were more consocian for within 11111	will home by denositor and work	amount received. Revised cost if any	expenditure will be restricted to		deposit is received in advance.	condition that the full amount of	Note I this will be subject to the		Full Power	Full Power with permission of JDC	up to Rs. 5.00 Crore	Above Rs. 5.00 Crore			Power
		Hem No. 20)	conditions (as per rereading	Dir (Finance) & other	nom							9	revised cost.	-	amount received including !	and expenditure restricted to	III advance as her own were	in advance as par Court Bulle	Subject to full amount deposit	Scheme Full power with EE.	WORK VIZ. MIPLAU, MILALAU	מו זו מו מו ומו	Note 2 in case of Zila Parishad					5	Remark

-		SE		
3	amount	Dir. Eng	particular work (excess)	
8	amount		of items in schedule G- bill of Quantity (BOQ) of a	17
-	Full Powers Upto 50% of tendered amount of		The execution and Payment of additional Quantities	
979	of the contractor shall be reviewed at the end of each financial year. On the eccipt of confidential report from the receipt of confidential report from the officers under whom he has worked in the last financial year for quality of works, ability to complete the work in the stipulated time, financial capacity the stipulated time, financial capacity and behavior Towards officers and staff of the Authority as well as other relevant yard stick fixed by the Authority.	Dir (Engg.) – A, B Class S.E. – C, D Class	To enlist contractor for various type of works as per Enlistment Rules of the Authority.	7 20
Enlistment will be done as per	E. I Note: The Performance	Dir. Dir.	To Approve basic schedule of rates	19
	Up to Rs. 100.00 Lacs Full Power in JDA	DC FEE	To Sanction execution of works on previously approved rates of similar nature works, in case of emergency, without inviting tenders	-8
	Up to Rs. 50.00 Lacs Full Power	SE	up to the Sanctioned rates in case (a) contractors fail to either deposit P.G. money in schedule period or does not commence the work within stipulated period or/and does not give stipulated progress and decision has been taken by the competent authority under clause 2&3 of the condition of the Contract.	
	Up to Rs. 500.00 Lacs Up to Rs. 150,00 Lacs	JDC Dir(Engg)	To issue work order to Participating contractor (s)/enlisted contractor of required category for original or repair work	17
rates in the schedule from time to time by inviting bids for sufficiently large amount of works. Note: (2) Rate up to the rate for similar work in nearby area.	ission of IDC.)		sanctioned estimated rates based on BSR without inviting tenders.	7
Note: (1) It is important to check the reasonability of the	Up to Rs. 2.00 Lacs in each check	Ex. En.	and order for original or repairs work up to the	-
		3	Nature of Londs	S.No.
	1000	notedatas mouse of	Nature of Power	-

		T	F				
15	2	5	12	-		-	S.No.
To issue work order/permission to issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR when no tender are received.	To rescind contracts for recorded reasons, where such cancellation does not result in loss to JDA, after forfeiting 2% Earnest money in case of contractor not depositing additional performance guarantee or deposits additional performance guarantee but does not start the work by the stipulated date of commencement & debarring the agency for future tendering for six months irrespective of their class of registration.	To rescind contract for recorded reasons, where such cancellation dose not result in loss to JDA.	he claus ovided orised s	Tenders are to be finalised within mentioned period, after this period next higher authority.		2	Nature of Power
Ex En	JDC .	Dir. Eng. SE EE	Director (Engg.) SE EE	EE SE EC		3	To whom delegated
Up to Rs. 1.00 Lacs Up to Rs. 0.50 Lacs	The Rs. 500 Lacs	Up to Rs. 500.00 Lacs Up to Rs. 150.00 Lacs Up to Rs. 50.00 Lacs	Up to 150.00 Lacs Up to 50.00 Lacs	Full Power 90 days 60 days 45 days 30 days	ng to outstation. A re- rers being of outstation hall be given prior to nt authority may rec- has received the lons Reasons in such o se of non satisfactor c competent authority r to the lowest tender nt authority may deci me counter- offer first me counter- offer first west tenderer and so o not accept, the coun contactor of IDA/Go the contractor who a con unacceptable rate resh tenders should b ditions mentioned agu	4	Power
					inimum time of seven days in case ins, and three days in case of local negotiations. In case of urgency the fuce the time provided the lowest intimation regarding holding of cases will be recorded. y achievement of rates from lowest y may choose to make a written or to the second lowest tenderer, then to to the second lowest tenderer, then to in the order of initial bidding, if all ter offer may be given to any eligible or. Organization and work order be coepts the counter offer. s) the rates even after negotiations are c invited.	and the same of th	Remark

	70			S.No.
	To undertake negotiations		2	Nature of Power
	DE: Up to 500.00 Lacs SE: Up to 150.00 Lacs EE: Up to 50.00 Lacs		3	To whom delegated
originally tendered or imposes new terms and conditions be made clear in writing while informing for negotiation. Be made clear in writing while informing for negotiation. (2) Negotiation before advertisement for tender may be rescase of small works. (3) Negotiation after tenders should be discouraged. It may hondertaken only with the lowest tenderer in circumstances. (a) when ring rates/pooled rates have been quitenderers. (b) when the rates vary considerably and much higher than the prevailing market time of opening of tenders (a) Before recommending conducting negotial justification should be recorded in writing giving justification should be recorded in writing giving reasons of negotiations to make it success. (b) Result of negotiation shall be recorded in the process (c) Negotiations will be conducted with the lowest tenderer(s) shall be informed in w	only. (I) Negotiations shall be under taken in exceptional circumstances. Negotiations will not make original offer made by the tenderer inoperative the competent authority will have option to consider original offer in case the tenderer decides to increase rates.		4	Power
originally tendered or imposes new terms and conditions this may be made clear in writing while informing for negotiation. (2) Negotiation before advertisement for tender may be resorted to in case of small works. (3) Negotiation after tenders should be discouraged. It may however be undertaken only with the lowest tenderer in following circumstances. (a) when ring rates/pooled rates have been quoted by the tenderers (b) when the rates vary considerably and considered much higher than the prevailing market rate at the time of opening of tenders. (4) Procedure of negotiations: (a) Before recommending conducting negotiations, full justification should be recorded in writing giving comparative justification should be recorded in the proceedings. (b) Result of negotiations to make it success. (c) Negotiations will be conducted with the lowest tenderer only. (d) The lowest tenderer(s) shall be informed in writing either	Negotiations shall be under taken in exceptional circumstances. Negotiations will not make original offer made by the tenderer inoperative the competent authority will have option to consider pricinal offer in case the tenderer decides to increase rates	permission of Authority Committee will be required. Rates of non-BSR items shall however be approved by SE before inviting tenders. These power are subject to the condition that the contractor's tendered amount does not exceed the Administrative and Financial Sanction by more than 10% of the work if the tendered amount of the contractor exceeds the estimated amount of the work by more than 10% the revised estimates should be prepared and submitted to competent authority to obtain revised A&F before accepting tenders. In Case of rejection of tenders on second time and subsequent invitation, the powers shall be exercised by next higher authority. All tenderers shall be informed regarding rejection of tenders and earnest money shall be refunded immediately. Second set of tenders for the same work shall be invited only after rejection of first set of tenders. In case second financial set of tenders is received and opened, first set of tenders shall stand rejected automatically. The tenders once rejected shall not be reopened and it will tenders shall be conducted with the lowest tenderer.	5	Remark

			25			24			*	,		1			23						23										S.No.
or other performance of the contract.	the time for the execution of the work or supply of materials	respective committee mansion in item no. 9 an extension of	To grant for recorded reasons on the recommendation of	materially alter the design provided in the original estimates sanctioned by a higher authority and is in respect of the work fairly contingent upon the work itself.	new work or repair not provided such diversion does not	To divert provision for contingencies to meet cost of any							sanctioned estimate / order.	Extra items not available is RCR rates and not included in	To Sanction payment without schedule of rates of additional items (extra) not provided in a sanctioned estimate / order.			(Extra items available in BSR rates but not included in	in a sanctioned estimate / order.	(extra) existing in approved schedule of rates not provided	To sanction execution and payment for additional items									2	NO. Hazara and other
EE	SE	DE	IDC	Ex. En.	SE	Dir. Eng.	Ex, En.		SE		Dir. Eng.	2. 7	2000	DC	E.C.		Ex. En.		SE SE	Dir. Eng.	300								Ex En	3	The second second second second
Up to Rs. 50.00 Lacs	Up to Rs. 150 Lacs	Up to Rs. S00.00 Lacs	Full Power	Up to Rs. 50,0007-	Up to Rs. 5.00 lacs	Pull Power	Upto Rs. 1.00 Lacs but not exceeding 10% of G Schedule whichever is less.	Schedule whichever is less	Upto Rs. 2.00 Lacs on such separate	lule	item but not exceeding 10% of G		item but not exceeding 10% of G	Upto Rs 10.00 lacs on such separate	Full Power upto limit of administrative and financial sanction.	1	Upto 20% of G Schedule or Rs. 10.00	-	or Rs.30.00	Upto 20% of G Schedule	Full Power	part and parcel of the work under execution.	2 The additional quantities should be	and financial saection of work	additional quantities and extra item	1. Total amount of work including	FOLLOWING CONDITIONS:	WERS SHALL	Upto 10% of tendered amount of works sanctioned.	4	VALUE AND A
2. Where order passed are proposed to be review approval of next higher authority will be obtained.	chall be obtained		i. in case extension of prices					approval of the original sanctioning authority.	Project will require	designs and scope of the	extra item.	the SE before sanction of	4- The rates of non-BSR items shall be got approved from	competent authority	3- Revised estimate has been got approved from	tender	exceed power to sanction	2- lender amount plus cost of		additional item should not be	I. In any case the extra items									ta.	Mikinga

X .	. 7												
***			31		30		29	28	27	26	(9)67	T	1 00
(i) in case of r/c		including tools & plant and spare part of machinery from firms after calling for competitive tender including the sanction of necessary estimates.	To sanction subject to A&F sanction the purchase of stores	amount of compensation provided in the agreement.	or ration for	Spanish and Assistance.	Agreement relating to the loan of tools and plant to the	To accept Bonds of auctioneers & Security bonds for the due performance and completion of work.	To execute the instruments relating to acceptance of tenders on behalf of the Chairman, JDA	To sanction repayment of security deposits of contractor on satisfactory completion of original and repair works after the lapse of the period, as specified in the contract.	to grant provisional time extension to the agreements, to keep the agreement alive.	4	Jawo I tower
Dir. Eng.	Ex. En.	Dir. Eng. SE	JDC	JDC/Dir. Eng/SE	EX. En.	Dir. (Engg)/SE/ Ex. En	Ex. En.	Ex. En.	Ex. En.	EE	EE	3	Io whom delegated
Up to 98% of the cost of goods Up to 90% of the cost of good worth Rs. Three lacs. Note: (a) Advance for purchase of stores may be given in exceptional circumstances taking necessary precaution for securing the JDA against loss and for preventing the system from becoming general continuing any longer than is absolutely necessary. (b) Such advance should be made on submission of Railway or Road Transport Receipts. The balance should be paid on receipts of the goods subject to the usual verification. (c) The advances payment should preferably by made on receipt of a certificate of personal inspection of goods by the consignee who may employ an officer not below the rank of an Assistant Engineer. (d) It should also be made clear to the suppliers that they are in no way absolved from the responsibility in respect of quality and quantity of stores dispatched by them and recoveries are liable to be made if the stores received are found in way to be defective or short in quantity.	Up to Rs.50,000/-	Up to Rs. 20.00 Lacs Up to Rs. 10.00 Lac	Full Power	Full Power in respect of Contracts accepted by next lower authority.	Work Costing Rs. 150.00 lacs	Full Power in respect of tender accepted by next lower Authority	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power	Full Power		Power
Subject to approval of JAX. In the subject to approval of JAX. In the subject to approval of JAX. In the subject to approval of JAX. In submission of Railway or Road nould be paid on receipts of the nould be paid on receipts of the nould be paid on receipt of a goods by the consignee who may of an Assistant Engineer. In the suppliers that they are in no way respect of quality and quantity of veries are liable to be made if the edefective or short in quantity.										After issue of completion certificate by concerned Ex. En. and certificate that defects pointed out by any higher/other have been removed by contractor and communicated to authority concerned		^ .	Remark

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			TON	A N
	4	Dir. (Engg.)		1
	Rs. 10,000/- only in emergent case after recording reasons.	Ex. En.	To sanction rent charges for tools and plants and other materials obtained for external sources.	4
	Call Lower services on the case	Director (Engg.)	To sanction rate for hiring of departmental tool & plants	43
	by committee		usau usarati.	
Known	-		sanction their sale by public	
be estimated if original price is not	-4-	Ex. En.		i
to original purchase price which may		Dir. (Engg.)	To declare any stores fincluding tools & plants stocks and	43
Note - These monetary Limits refer			for in the contract.	
	that a report should be made to Director (Engg.) and Director (Fin.)	Ex. En.	To issue stock or other materials to works at stock or market rates whichever is greater when their issue is not provided	41
	0 RS, 0.50 lacs.	Ex. En.		
	Up to Rs. 1.00 Lacs	SE		
	Up to Rs. 10.00 Jacs.	Dir. (Engg.)	surplus by the competent authority in accordance with rules.	
	Full Power	JDC	To accept tenders for the sale of tools and plants declared	40
-	Up to Rs. 0.50 lacs.	Ex. En.		
	Up to Rs. 1.00 Lacs	SE	plants subject to specific A&F	
	Full Power	Dir. (Engg.)	To sanction estimates for repair and carriage of tools and	39
	Full power	JDC	To sanction the limits of Reserve stocks of divisions	38
	Full power after sanction of the JDC.	Ex. Bn.	To pass indents on other department including DGS&D for articles required for sanctioned works.	37
	annual limit- Rs. 200 lacs	Ex. En.	To sanction purchase of spare parts in emergent cases, without inviting tenders.	36
	al limit of Rs.		period by the rate contractor.	
	Up to Rs. 0.25 lacs in each case with	Ex. En.	particular machine from the firms approved by the above in	
	Up to Rs. 1.00 lacs in each case	Dir. (Engg.)	Purchase of spare parts after inviting limited tenders of a	35
	tender should be invited.)	// (Sec.) 1999	machine from the manufacturer or original equipments supplier or from the sole distributors.	*
	Up to Rs. 0.30 lacs (beyond this limit	Dir (Engel)		
	Up to Rs. 1.00 Lacs	SE	exceeding the D.G.S.&D rate without calling tender.	
	Up to Rs. 2.00 Lacs	Dir. Eng.	from the authorized local dealer at manufacturer rates not	
	Full Power	ДC	To sanction purchase of spare parts of a particular machine	33
le shall be ensured whe der placed and exceed R	(e) Inspection before dispatch of good/article shall be ensured where the advance payment amount 75% of the order placed and exceed Rs. 50,000/-			
5	The second secon	3	2	
MINUSA	STATES OF THE PROPERTY OF THE	ACM MAN CONTRACTOR OF THE SERVICE SERV	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	SELECTION OF SELEC

															1		F		D															
56	1	55		24								33	3		Y	22	1		51	50			49			48		47			40		1	S.No.
Opening of tender of single envelop system.		To approve Public private participation projects such as	Diffusion by Manufacture on the Assessment of th	To exist perior and or mission of rate contract.	To antical and/or amount of rate contract with the					In lorge of as prescribed make the rules.	compensation and or any outer the rules	To saliction compositions, where law for the time being	acquisition of the workmen's	regulations provided automa is contained of	on the land taken over by the armount is certified by the land	to said to the over by the authority for public works by	The compensation for the lands and crops standing		Write off infractuous expenditure on construction.	To write off discrepancies in accounts	Of Similar Control of the Control of	on manufacturers accounts.	To sanction estimates for losses on stock due to depreciation		measurement books and muster role which have been hish	To sanction after due investigation the write off of	unserviceable after fair wear and tear.	To sanction the write of tool and plants which have become	4 4	accident, negligence, fraud or otherwise	to sanction after one investigation the write value of an		2	Nature of Fower
Ex.En. A.En. & A.A.O.	of JDC,	Authority	EE	SE	DE					ACC. SOLO	Ex En	SE	Dir. (Engg.)		Bx. En.	Dir. Eng.	Dir. JDC		Dir. (Engg.)	Ex. En.	SE	Dir. (Engg.)	JDC			Dir. (Engg.)		Dir (Engg.)	Ex. En.	SE	Dir. (Engg.)	50	3	Date Salab month of
9 1000	Dir. Up to Rs. 50.00 Lacs	Full Power	Upto 20%	Upto 50%	Full Power	75% of the compensation payable.	sanction an advance payment upto	Director Engineering and SE may	sanction before Competent authority,	Note : If the award is pending for		Up to Rs. 1.00 Lacs.	Full Power	individual claimant.	Up to Rs. 0.50 lacs. for each		Full Power	with Director (Fin.)	1% of the contract value subject to a	Up to Rs. 50/-	Up to Rs. 0.20 Lacs.	Up to Rs. 0.50 lacs	Full Power	compliance of rules giving full details. Copy of the order should be endorsed to Director, (Finance) and IDC	off the Director (Engg.) should pass a separate order after due investigation &	Note: In each case while ordering write	niles. (GF&AR, PWF&AR)	Full power subject to compliance of	Up to Rs. 5,000/- each case	Up to Rs. 1.00 lacs in each case	Up to Rs. 3,00 lacs in each case	sanctioned for the division.		Lond
	project	lishur	This amount me																										-				2	AND DESCRIPTION OF THE PERSON

in the same

		Sep.					
62	61	88	59	58	57	0.10	CNO
To sanction expenditure on account of ceremonies connected with laying foundation stones or inauguration of public works after administrative approval for organizing such ceremony.	To advertise for tenders as per rules and sanction expenditure on such advertisement as per approved rates.	To sanction payment of price escalation under clauses of agreement.	To accord administrative and technical approval and to approve tenders conducting of detailed survey and investigation, preparation of designs and drawings, project formulations and preparation and other studies, appointing consultant, Architectural consultancy etc., other than by departmental agency e.g. private consultancy services (Subject to specific approval of the authority and specific budget provision for carrying out studies through enlisted consultant in panel of UDH.	Technical Evaluation of tender of two/three bid system	Opening of tender of two/three bid system.	2	Nature of Power
SE JDC	PRO	Original sanctioning authority of tender.	DE DE	Sr. A.O & Ex.En.	Ex.En, A.En. & A.A.O.	3	To whom delegated
project above Rs. 10.00 Crores. Up to Rs. 2.00 Lacs for works costing of project below Rs. 10.00 Crores. Up to Rs. 1.00 Lacs for works costing up to Rs. 1.00 Lacs for works costing of project below Rs. 10.00 Crores	Full Power for works costing of		Up to Rs. 25.00 Lacs		Full Power	-	Power
	works should be clubbed in order to effect economy. Note 2: NIT has been invited only after fulfilling conditions laid down in P.W.F & A.R.	Note 1: For work done beyond stipulated original period of completion of the work or a portion of work (Reach), the payment of escalation will be made after sanction of final extension in completion period by the competent authority. Note 2: The escalation will be granted as per conditions laid down in the agreement in relevant clauses. Note 3: No escalation will be granted on the basis of provisional time extension. Note 1: The NIT for several	departmental organization existing for the work is either fully occupied or is not well equipped for the job. Note 2: No open Testders are to be invited, appointment of consultant shall be as per procedure laid down in UDH Department.	Note to Certificate is recorded		3 .	Remark

**